तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स प्रेम vs ओमसिंह वगै० दावा	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
27/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत डिकोली कलां में पेश हुई। वादिया व प्रति० सं. 1 ता 3 भी उपस्थित किन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, वादिया एवं प्रति० सं. 1 ता 3 मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादिया फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। दावा वादिया मुताबिक फाईनल रहना। लिखने पर मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला-करौली (राज.)	प्रेम
[illegible]/11/21	वादिया ने स्टाम्प ड्यूटी के साथ डिक्री बनाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर रहे।	

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांवो के संग
अभियान–2021

प्रपत्र–5

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा।

उनवान

प्रेम पत्नि उदयराज उम्र 50 साल जाति मीना निवासी डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीया

बनाम

01. भीमसिह
02. रामधारी
03. रामजीत

पुत्रान स्व0 उदयराज जाति मीना निवासीयान डिकोली कलॉ तहसील

04. मालती
05. मारूती
06. विनती
07. कुन्ती

पुत्रीयान स्व0 उदयराज

सभी जातिगण मीना निवासीयान डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

08. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत्:– बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बरः– 57/19
निर्णय दिनांकः– 27.10.2021

वादीया की ओर से वादीया प्रेम पत्नि स्व0 उदयराज की एवं प्रतिवादी की ओर भीमसिह वगैरा0 की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 27.10.2021 को **श्री ओमप्रकाश मीना आरएएस** उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात ग्राम डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीया प्रेम पत्नि उदयराज जामि मीना निवासी डिकोली कलॉ के हिस्से में ख0नं0 248/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 260/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 285/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 300/2 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 389/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 488/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 489/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 571/1 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।
2. प्रतिवादी सं0 6 व 7 विनती कुन्ती पुत्रीयान उदयराज जामि मीना निवासी डिकोली कलॉ के हिस्से मे खसरा नं0 248/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 260/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 285/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 300/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 389/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 488/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 489/2 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 571/2 रकबा 12 बिस्वा किता 8 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा रहेगा।
3. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 भीमसिह, रामधारी, रामजीत पि0 उदयराज जाति मीना निवासीयान डिकोली कलॉ के हिस्से में खसरा नं0 248/3 रकबा 10 बिस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सपोटरा जिला-करौली (राज.)

Scanned with CamScanner

नं0 260/3 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 285/3 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 300/3 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 389/3 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 390 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 488/3 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 489/3 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 571/3 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 27.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टॉम्प 4. ......रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमीश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प अर्जी के लिए स्टॉम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमीश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा

जिला करौली

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
57/19	दावा	30.07.19	27.10.2021

प्रेम पत्नि उदयराज उम्र 50 साल जाति मीना निवासी डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीया

बनाम

01. भीमसिह
02. रामधारी
03. रामजीत

पुत्रान स्व0 उदयराज जाति मीना निवासीयान डिकोली कलॉ तहसील

04. मालती
05. मारूती
06. विनती
07. कुन्ती

पुत्रीयान स्व0 उदयराज

सभी जातिगण मीना निवासीयान डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

08. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि ग्राम डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 09.03.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांकःएलआर/2021/1918 दिनांक 12.07.2021 द्वारा ग्राम डिकोली कलॉ की विवादित आराजीयात की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, बंटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत डिकोली कलॉ में पेश हुई। वादीया एवं प्रतिवादीगण कैम्प में उपस्थित आये। वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादीया फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादीया फाईनल डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 कैम्प में उपस्थित आये और बंटवारा स्कीम के अनुसार दावा वादीया फाईनल डिक्री कर दिये जाने में कोई एतराज नहीं किया किन्तु हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वाद पत्र में उपलब्ध जमाबंदी एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के रिकार्डेड संयुक्त खातेदार है जिन्हे अपने अपने हिस्से राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा कराने के हकूक प्राप्त है। अतः दावा वादीया मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात ग्राम डिकोली कलॉ तहसील सपोटरा का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादीया प्रेम पत्नि उदयराज जामि मीना निवासी डिकोली कलॉ के हिस्से में ख0नं0 248/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 260/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 285/2 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 300/2 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 389/2 रकबा 05

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला-करौली (राज.)

Scanned with CamScanner

बिस्वा, खसरा नं0 488/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 489/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 571/1 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।

2. प्रतिवादी सं0 6 व 7 विनती कुन्ती पुत्रीयान उदयराज जामि मीना निवासी डिकोली कलॉं के हिस्से मे खसरा नं0 248/1 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 260/1 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 285/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 300/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 389/1 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 488/2 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 489/2 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 571/2 रकबा 12 बिस्वा किता 8 कुल रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा रहेगा।

3. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 भीमसिह, रामधारी, रामजीत पि0 उदयराज जाति मीना निवासीयान डिकोली कलॉं के हिस्से में खसरा नं0 248/3 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 260/3 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं0 285/3 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं0 300/3 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 389/3 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 390 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नं0 488/3 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 489/3 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं0 571/3 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिक्री का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 11 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री जारी हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सपोटरा
जिला करौली

Scanned with CamScanner